

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एच.एच.ओ. कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय से काम से ही किया जाये व कि किसी अन्य पदाधिकारी को काम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में एच.एच.ओ. हुआ हो तो एच.ओ.ओ. एवं विभागाध्यक्ष अलग लिखा जाये जिससे स्पष्ट हो।



आम : दूरदर्शनी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(सर्वोच्च)
2442462 (विचार)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 4926

दिनांक : 24/5/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के निर्णयानुसार वसुन्धरा राजे होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य तथा शेष शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28(17) अन्तर्गत की जाये।
2. कुछ शैक्षणिक विभागों में स्थानाभाव है अतः नया निर्माण कार्य कराया जा कर उन्हें स्पेशियस (पर्याप्त स्थान) प्रदान करें।
3. महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में एक्स रे, यू.एस.जी की सुविधा प्रदत्त कराई जाये।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, वसुन्धरा राजे होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर
2. सचिव, केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद्, जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, 5वीं-6वीं मंजिल, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/ओपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



नाम : यूजीवसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/5216

दिनांक: 21.1.2012

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध वसुन्धरा राजे होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2386531) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिन्धियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वे. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442766)
- (2) डॉ. राजेश बाहुलिया, आचार्य, होम्यो मेडीकल कॉलेज, इन्दौर।
- (3) डॉ. आदित्य श्रीवास्तव, आचार्य, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।
- (4) डॉ. अविनाश शर्मा, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (5) डॉ. अशोक नारायण माथुर, आचार्य, होम्यो मेडीकल कॉलेज, इन्दौर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिन्धियम 27/23 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का पथ्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, परेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संख्या से प्राप्त अनुसूचि/अनुनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसमें सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिन्धियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पदावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)